न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2021/294

पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 43/2021

1. सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी हाल मकान नम्बर डी 58 बी, गली नम्बर 3, लक्ष्मी नगर दिल्ली–92, पता ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – प्रार्थी

बनाम

1. जयराम जाट पुत्र रामचन्द्र जाट, जाति जाट
2. उमराव पुत्र सूरजमल, जाति मीणा
3. पप्पू पुत्र सूरजमल, जाति मीणा
4. गोकूल पुत्र सूरजमल, जाति मीणा
5. लक्ष्मण पुत्र श्रवण लाल, जाति मीणा
6. किशोर पुत्र श्रवण लाल, जाति मीणा
7. गुल्ला राम पुत्र श्रवण लाल, जाति मीणा
8. धन्नाराम पुत्र श्रवण लाल, जाति मीणा
9. गोपाल पुत्र श्रवण, जाति मीणा
10. नाथी पत्नी श्रवण लाल, जाति मीणा मृतक नाम हजफ
11. सुनिता पुत्री सुरजमल, जाति मीणा
12. सुल्तान पुत्र श्रवण लाल, जाति मीणा
13. फुली देवी पत्नी श्रवण लाल, जाति मीणा
14. भागीरथ पुत्र सोनाराम, जाति जाट
15. अजय पुत्र सोनाराम जाट, जाति जाट
16. बाबूलाल पुत्र सोनाराम जाट, जाति जाट
17. मदन लाल पुत्र सोनाराम, जाति जाट
18. शिम्भू पुत्र सोनाराम, जाति जाट
19. गुड़डी पुत्री रामनिवास, जाति मीणा
20. नरसीलाल पुत्र घीसाराम, जाति मीणा
21. बाबूलाल पुत्र घीसाराम, जाति मीणा
22. शिवपाल पुत्र घीसाराम, जाति मीणा फौत
23. सुनील पुत्र रामनिवास, जाति मीणा
24. सुमन देवी पत्नी रामनिवासी, जाति मीणा
25. सरदारमल पुत्र घीसाराम, जाति मीणा मृतक
    25/1. प्रकाश पुत्र सरदारमल
    25/2. कमलेश पुत्र सरदारमल
    25/3. मिश्री देवी पत्नि सरदारमल
26. सुरेन्द्र पुत्र रामनिवास नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन देवी, जाति मीणा
27. अमित पुत्र रामनिवास जरिये नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन देवी, जाति मीणा

1।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

28. चैन सिंह पुत्र हनुमान सिंह, जाति राजपूत
29. राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह, जाति राजपूत
30. रामरतन सिंह पुत्र हनुमान सिंह, जाति राजपूत
31. हुकमसिंह पुत्र हनुमान सिंह, जाति राजपूत
32. हेमसिंह पुत्र हनुमान सिंह, जाति राजपूत
33. भींवाराम पुत्र मंगलाराम, ज़ाति मीणा
34. प्रहलाद पुत्र सुवालाल, जाति ब्राह्मण
35. राजेन्द्र पुत्र किशनाराम, जाति ब्राह्मण
36. श्यामलाल पुत्र किशनाराम, जाति ब्राह्मण
37. गुलाब देवी पत्नी बद्रीप्रसाद, जाति अहीर
38. गणपत लाल पुत्र बद्री, जाति अहीर यादव
39. गुल्लाराम पुत्र सोनाराम, जाति अहीर यादव
40. चौथमल पुत्र हनुमान, जाति अहीर यादव
41. जगदीश पुत्र सोनाराम, जाति अहीर यादव
42. नन्छी देवी पत्नी बद्री, जाति अहीर यादव
43. बलदेव पुत्र हनुमान, जाति अहीर यादव
44. बोदूराम पुत्र सोनाराम, जाति अहीर यादव
45. भूराराम पुत्र हनुमान, जाति अहीर यादव
46. मंजू देवी पत्नी ब्रदी जाति अहीर यादव
47. रघुवीर पुत्र हनुमान, जाति अहीर यादव
48. सुरजमल पुत्र सोनाराम, जाति अहीर यादव
49. सीताराम पुत्र हनुमान, जाति अहीर यादव

समस्त निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

50. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111
राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 27.06.2025

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 162/1857 रकबा 0.9200 है0 व ख0न0 241 रकबा 0.1900 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.1100 है0 वाके ग्राम रूण्डल, पटवार हल्का रूण्डल, भू0अ0नि0क्षे0 मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित है, जिसका खातेदार प्रार्थी है। दिनांक 27.10.2021 को श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर के आदेश पत्रांक 5382 दिनांक 15.04.2019 की अनुशंषा व श्रीमान भू0 प्रबंध अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक 1215 दिनांक 25.10.2021 के अनुसार ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर के आराजी खसरा नम्बर 162/1857 तथा 241 के सीमाज्ञान चिन्हित कर राजस्व टीम को तकनीकी सहयोग देने हेतु मौके पर पहुँचे। मौके पर राजस्व विभाग के कर्मचारी हल्का पटवारी व गिरदावर मय राजस्व रिकॉर्ड लेकर मौके पर उपस्थित मिले। दोनो टीम व ग्रामवासियों की मौजुदगी में मौके का निरीक्षण किया गया। साथ ही दिनांक 27.10.2021 को आराजी ख0न0 162/1857 एवं ख0न0 241 का

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर

ई0टी0एस0 मशीन से सीमा चिन्हीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। लेकिन प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि में जबरन मजाहमत करने के कारण तथा प्रार्थी की अपनी सीमाओं को महदूद करने की गुरेज से पत्थरगढ़ी करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसलिये प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की नियमानुसार पत्थरगढ़ी किया जाना नितान्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि के पडोसी खातेदार काश्तकार है, जो प्रार्थी की भूमि के चारो दिशाओ के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की सुरक्षा वास्ते एवं पडोसी खातेदारो से लडाई झगडो से निजात पाने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाकर उक्त भूमि की सुरक्षा हेतु तारबंदी करना चाहता है। इसलिये प्रार्थी की उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण संख्या बल में ज्यादा है और मौके पर पत्थरगढ़ी नही होने देने की संभावना व मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पत्थरगढ़ी की कार्यवाही जरिये पुलिस ईमदाद करवाया जाना आवश्यकीय है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 162/1857 रकबा 0.9200 हैक्टे0 व ख0न0 241 रकबा 0.1900 हैक्टे0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.1100 हैक्टे0 वाके ग्राम रूण्डल, पटवार हल्का रूण्डल, भू0अ0नि0क्षे0 मानुपरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर की पत्थरगढ़ी जरिये पुलिस ईमदाद से किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट अनुसार तलवी पूर्ण पायी गयी। तामिल पूर्ण होने के बाद भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 24, 26 लगायत 33, 35 लगायत 49 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 25/1, 25/2, 25/3 का जवाब बंद किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 34 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौका व राजस्व रिकार्ड के विपरीत सीमाज्ञान कार्यवाही मिन जवाबदाता को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय सीमाज्ञान की कार्यवाही की गई है, जिसकी जानकारी मिन जवाबदाता को आज दिन तक नही रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। प्रार्थी मिन जवाबदाता की खातेदारी कब्जेशुदा भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके बेदखल करने संबंधित अवैधानिक कार्यवाही पत्थरगढ़ी की आढ़ में की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भूमि वाके ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर के ख0न0 162/1857, 241 कुल किता 02 कुल रकबा 1.11 हैक्टे0 के बाबत उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग करते आ रहे है। अस्वीकार है तथा भूमि ख0न0 25/1, 26 के गत 11 जो उत्तरदाता की भूमि थी, दौराने भू0प्रबंध प्रार्थीगण के ख0न0

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

162/1857 की उत्तरी सीमा को बढा कर हाल नक्शा ट्रेस गलत तैयार कर दिया गया जिसका दुरूस्त करवाने बाबत उत्तरदाता ने सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक आमेर के यहॉ वाद प्रस्तुत कर रखा है। वाद के निर्णय तक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही स्थगित किया जाना आवश्यक है। बिना कब्जे काश्त के प्रार्थी उत्तरदाता की भूमि पर पत्थरगढ़ी के माध्यम से कब्जा प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित सीमाज्ञान मिनउत्तरदाता की अनुपस्थिति में किया गया है, जिसके विरूद्ध उत्तरदाता ने नियमित वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। यदि सीमाज्ञान को ही उत्तरदाता सही नही माना गया है तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाज्ञान बिना मौके पर उपतहसीलदार को बिना ले जाये गये ही कार्यालय में बैठ कर कार्यवाही की गई है तथा ईटीएस मशीन से बिना क्षेत्राधिकार के ही सीमा चिन्हो तक निस्तारण किया गया है, जबकि मौके पर किसी भी प्रकार के निशान नही है, जिससे साफ जाहिर है कि मौके पर पुराने कोई सीमा चिन्ह नही है, इसलिये सीमाज्ञान किया जाना संभव नही था। मद नम्बर 1 में वर्णित अन्य सहखातेदार बिहारी लाल पुत्र हनुमान प्रसाद व सुरजमल पुत्र भंवर लाल को बिना पक्षकार बनाये ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि समस्त सहखातेदारो के द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। इस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार, तहसील आमेर ने पत्र क्रमांक भू.अ./2024/3355 दिनांक 14.05.2024 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई जिसका सार इस प्रकार हैः– मुताबिक पटवारी हल्का रूण्डल की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान पूर्व में जिला कलक्टर जयपुर के पत्रांक 5383 दिनांक 15.04.2021 की अनुशंषा के अनुसार भू0 प्रबंध अधिकारी के आदेश क्रमांक 655 दिनांक 28.06.2021 को भू0प्रबन्ध अधिकारी के आदेश क्रमांक 655 दिनांक 28.06.2021 को भू0 प्रबंध विभाग की टीम द्वारा ई.टी.एस. मशीन मशीन से किया गया था। मुताबिक रिर्पोट पटवारी हल्का अनुसार उक्त भूमि मौके पर खाली पडी है। मौके पर पत्थरगढ़ी कार्यवाही के दौरान पडोसी खातेदारो द्वारा शांति भंग की आशंका व्यक्त की है। अतः पत्थरगढ़ी की कार्यवाही पुलिस इमदाद व उच्च अधिकारियो की उपस्थिति में की जानी अपेक्षित है। पटवारी हल्का रूण्डल की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। मुताबिक पटवारी हल्का रूण्डल ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर के जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 628 के ख0न0 162/1857 रकबा 0.92 है0 किस्म बारानी 2 एवं ख0न0 241 रकबा 0.19 है0 किस्म बारानी 2 में खातेदार सुरेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 देह नि. मकान नं0 डी 58 बी गली नं0 3, लक्ष्मी नगर ईस्ट, दिल्ली खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बरान वर्तमान राजस्व रिकार्ड मुताबिक अब्दुल रहमान, माफी मंदिर रेफरेन्स व अन्य कोई स्थगन से प्रभावित नही है। उक्त खसरा नम्बरान का [illegible]ज्ञान पूर्व में श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर के पत्रांक 5383 दिनांक 15.04.2021 की अनुशंषा व श्रीमान भू0 प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक 655 दिनांक 28.06.2021 की पालना में भू0 प्रबन्ध विभाग की टीम

मय ई.टी.एस. मशीन से किया गया था। ख0न0 162/1857 की उत्तरी दिशा ख0न0 25, 25/1, 26 है0 ख0न0 25/1, 26 रकबा 19.39 है0 में खातेदार कमलेश कुमार पुत्र नन्छूराम वगै0 जाति माली, सा0 देह खातेदार शेष खाता बदस्तुर जमाबंदी अनुसार संलग्न जमाबंदी एवं ख0न0 25 रकबा 7.99 है0 खातेदार अजय पुत्र सोनाराम वगै0 जाति जाट, सा0 नयाबास खातेदार शेष खाता बदस्तुर जमाबंदी अनुसार सलंग्न जमाबंदी पूर्वी सीमा पर ख0न0 160 रकबा 0.76 है0 में खातेदारी उमराव पुत्र सूरजमल वगै0 जाति मीणा सा0 देह खातेदार शेष खाता बदस्तुर जमाबंदी (संलग्न जमाबंदी) दक्षिणी सीमा पर ख0न0 161, 162/2519, 162/1973, 162, 163, 164 है0 ख0न0 162/2519, 161 में खातेदारी श्रीमती सुरज्ञान यादव पत्नि शिवपाल यादव, जाति अहीर यादव सा0 देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी) ख0न0 162, 162/1973 में खातेदारी कमलेश पुत्र सरदारमल वगै0 जाति मीणा सा0 देह खातेदार शेष खाता बदस्तुर जमाबंदी (संलग्न जमाबंदी) ख0न0 163 में खातेदार कमलेश पुत्र सरदारमल वगै0 जाति मीणा सा0देह खातेदार शेष खाता बदस्तुर जमाबंदी (संलग्न जमाबंदी) ख0न0 164 में खातेदारी भींवाराम पुत्र मंगलाराम हि0 पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी) एवं पश्चिमी सीमा पर ख0न0 24/1 में खातेदारी अजय पुत्र सोनाराम वगै0 जाति जाट, सा0 नयावास शेष खाता बदस्तुर जमाबंदी (संलग्न जमाबंदी) दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ख0न0 241 की उत्तरी दिशा पर ख0न0 242/1793 के खातेदारी आंची देवी पत्नि बोदूराम वगै0 जाति अहीर यादव शेष खाता बदस्तुर जमाबंदी (संलग्न जमाबंदी) पूर्वी दिशा ख0न0 243, 320 है। ख0न0 243 में खातेदार राजेन्द्र कुमार, श्यामलाल पुत्र किशना जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार शेष बदस्तुर जमाबंदी (संलग्न जमाबंदी) ख0न0 320 में खातेदारी गुलाब देवी पत्नि बद्रीप्रसाद हि0 पूर्ण जाति अहीर यादव सा0 देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी) पश्चिमी सीमा पर ख0न0 240 खातेदार प्रहलाद पुत्र सुवालाल हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी)। दक्षिणी सीमा पर ख0न0 241/1792 में खातेदार प्रहलाद पुत्र सुवालाल हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी)। दक्षिणी सीमा पर ख0न0 241/1792 में खातेदार प्रहलाद पुत्र सुवालाल हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी) दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि मौके पर खाली पडी है। श्रीमानजी पत्थरगढ़ी कार्यवाही के दौरान पडौसी काश्तकारों द्वारा शांतिभंग किये जाने की आंशका है।

::– आदेश –::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि :–

01 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 162/1857 रकबा 0.9200 है0 व ख0न0 241 रकबा 0.1900 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.1100 है0 वाके ग्राम रूण्डल, पटवार हल्का रूण्डल, भू0अ0नि0क्षे0 मानपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये

02. तहसीलदार, तहसीलद आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रकिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें।

03. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

04. तहसीलदार, आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तांतरण नही करें।

05. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। कब्जा संबंधी मामलो में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

06. चूँकि प्रश्नगत आराजी/लगवा काश्तकारों के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, आमेर में नक्शा दुरूस्ती का दावा जयराम बनाम सुरेन्द्र कुमार विचाराधीन है, जिसकी प्रति संलग्न है। अतः पत्थरगढ़ी की पालना निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

आज दिनांक 27.06.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bsw

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर